अध्याय 2
(क) घरेलू खपत दर पर 'लौह अयस्क' की अनियमित बुकिंग तथा वितरण और उसके परिणाम
(ख) लौह अयस्क का उपयोग आन्तरिक उपभोग में नहीं हुआ
(ग) लौह अयस्क परिवहन हेतु रैको का निर्धारण तथा वितरण

2.1 घरेलू दर के लिए पात्र उपभोक्ता

मई 2008[18] में शुरू की गई दोहरी माल भाड़ा नीति (डीएफपी) ने नीति की शर्तों के अधीन घरेलू दर पर लौह और इस्पात निर्माताओं को माल भाड़ा भुगतान के हकदार बनाया। इसके बाद लौह अयस्क पेलट और सीमेंट के निर्माताओं को भी क्रमश: जुलाई 2008 और जून 2009 में उस श्रेणी में शामिल[19] किया था। हालांकि, निर्यात के लिए ऐसे पेलेटाइजेशन के लिए ले जाए गए लौह अयस्क के साथ-साथ निर्यात के लिए लौह अयस्क पेलट पर घरेलू दर के बजाए दूसरी दर से भाड़ा प्रभारित किया जाना था।

2.2 लौह अयस्क यातायात पर लागू भाड़ा दर

शुरूआत में घरेलू उपयोग के लिये लौह अयस्क की ढुलाई मई 2008 में श्रेणी 170 में नियत की गई थी; बाद में, यह 13 अक्टूबर 2008 से श्रेणी 180 में बढ़ा दी गई थी और 'घरेलू उपयोग के अलावा' लिये लौह अयस्क की ढुलाई से 200 एक्स[20] की उच्च श्रेणी में नियत की गई थी। 6 जून 2009 से, रेलवे बोर्ड ने 'घरेलू उपयोग के अलावा' के लिये लौह अयस्क यातायात पर प्रभारित किये जाने वाला भाड़ा 200 एक्स श्रेणी से, श्रेणी 180 और दूरी आधारित प्रभार (डीबीसी) में संशोधित[21] किया जो प्रति मेट्रिक टन (एमटी) एकमुश्त राशि और मूल भाड़ा दर (स्लेब के आधार पर 10 प्रतिशत से 125 प्रतिशत तक) से बनता है। डीबीसी प्रभारित करने के लिये स्लैब निम्नलिखित रूप से निर्धारित थी:

---

[18] 2008 की दर परिपत्र संख्या 24 देखें

[19] 2008 की परिपत्र संख्या 30 तथा 2009 की 36

[20] 2008 की दर परिपत्र संख्या 54 देखें

[21] 2009 की दर परिपत्र संख्या 36 देखें

तालिका 2.1	
विभिन्न दूरी स्लैब के लिये डीबीसी	
दूरी स्लैब (कि.मी. में)	*मूल भाड़ा दर (बीएफआर) के प्रतिशत के अनुसार डीबीसी*
0 से 200	बीएफआर का 125% +एकमुश्त राशि
201 से 300	बीएफआर का 90%+एकमुश्त
301 से 400	बीएफआर का 75%+एकमुश्त
401 से 500	बीएफआर का 45%+एकमुश्त
501 से 600	बीएफआर का 25%+एकमुश्त
601 से 700	बीएफआर का 10%+एकमुश्त
700 से अधिक	केवल एकमुश्त राशि

आरम्भ में ₹ 200 निर्धारित एकमुश्त राशि को समय-समय पर 05.03.2013 तक अधिकतम ₹ 1600 तक बढ़ाया गया था। इसके पश्चात 06.03.2012 से ₹ 1125 तक कम किया गया था जो अभी तक अपरिवर्तित थी (अक्तूबर 2014)।

2.3 खपत हेतु मालभाड़ा दर का लाभ उठाने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

घरेलू खपत के लिए लागू मालभाड़ा दर का लाभ उठाने के लिए लौह अयस्क परिवहन हेतु दोहरी मालभाड़ा नीति[22] को लागू करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दर परिपत्र के अनुसार, लदान केन्द्रो के स्टेशन मास्टर/प्रमुख माल पर्यवेक्षक को रैक के प्रत्येक आवंटन के लिए मांग के साथ-साथ छः दस्तावेजो[23] की सत्यापित प्रतियो की प्रस्तुति लौह तथा इस्पात निर्माताओ के लिए अनिवार्य बना दी गई थी। तथापि स्वंय की साइडिंग वाले निर्माताओं के मामले में, मासिक उत्पाद शुल्क विवरणियों (एमईआर) को छोड़कर अनिवार्य दस्तावेज एक बार अर्थात पंजीकरण के समय डिविजनल रेलवे कार्यालय के साथ एक टाइमर के रूप में प्रस्तुत किए जाने थे। ऐसे निर्माताओं द्वारा प्रत्येक तिमाही में एमईआर प्रस्तुत की जानी थी। प्रत्येक मामले में डिलीवरी प्राप्त करने से पूर्व उत्तराई केन्द्रो पर शपथ पत्र तथा क्षतिपूर्ति नोट प्रस्तुत करने के लिए गैर-वन टाइमर प्रेषिती भी आवश्यक थे। अग्रेषण पत्र को प्रत्येक

---

[22] मई 2008 में जारी 2008 की दर परिपत्र संख्या 24 तथा जून 2009 में जारी 2009 की दर परिपत्र संख्या 36

[23] औद्योगिक एन्टरप्राइजिज ज्ञापन, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परिचालन की स्वीकृति, फैक्टरी लाइसेंस, करार मजदूर अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण प्रमाणपत्र तथा मासिक उत्पाद शुल्क विवरणी ।

मांग[24] के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। शपथपत्र तथा क्षतिपूर्ति बांड[25] को भी वन टाइमर द्वारा एक बार तथा गैर वन टाइमर द्वारा प्रत्येक मांग के साथ प्रस्तुत किया जाना था। इसके अलावा, यदि प्रेषिती द्वारा प्रत्येक तिमाही में एमईआर प्रस्तुत न की जाए तो यह दस्तावेजो के एक समय प्रस्तुतिकरण की पात्रता खो देगा।

पैलेट इकाईयो के लिए, लदान केन्द्रो के स्टेशन मास्टर/प्रमुख माल पर्यवेक्षक को शर्त की परवाह किए बिना प्रत्येक बुकिंग के लिए मांग के साथ सभी निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक था चाहे पार्टी ने अपनी साइडिंग अथवा दूसरो की साइडिंग का उपयोग किया हो।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दस्तावेजो की एक बार प्रस्तुति के मामले में, उन दस्तावेजो की पुन: प्रस्तुति के लिए कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए गए है जिसकी वैद्यता दस्तावेजो की एक बार प्रस्तुति की योग्यता को बनाए रखने के लिए समाप्त हो चुकी थी।

2.4 दस्तावेजो की प्रस्तुति न करने/आंशिक रूप से करने तथा झूठे/गलत दस्तावेज/क्षतिपूर्ति नोट की प्रस्तुति के परिणाम

घरेलू खपत दरो पर मालभाड़े का लाभ उठाने के लिए मान्य दस्तावेजो की प्रस्तुति करना एक मापदंड था। घरेलू खपत हेतु यातायात के अतिरिक्त सारे यातायात से उच्चतर मालभाड़ा दर पर शुल्क लिया जाएगा। अत: रेलवे रसीद जारी करने/प्रेषण के वितरण से पूर्व, रेल प्रशासन को स्वयं को इस बात से संतुष्ट करना आवश्यक था कि प्रेषक/प्रेषिती द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है। रेलवे रसीद को केवल उस प्रेषिती के नाम पर जारी किया जाना था जिसके संदर्भ में प्रेषिती द्वारा रेलवे को निर्धारित

---

[24] अग्रेषण नोट को अनिवार्य दस्तावेजो के साथ यह घोषित करने के लिए जोड़ना है कि ट्रांसपोर्ट किया गया लौह अयस्क घरेलू खपत हेतु निर्मित है।

[25] बुक किया गया लौह अयस्क घरेलू खपत के लिए है, यह प्रमाणित करने वाले एक शपथपत्र को लदान तथा उत्तराई दोनो केन्द्रो पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। कम मालभाड़ा दर का लाभ उठाने या अन्य दुरूपयोग के लिए घरेलू लौह अयस्क के रूप में लौह अयस्क के निर्यात की गलत घोषणा के प्रति रेलवे के क्षतिपूर्ति हेतु प्रेषिती द्वारा एक क्षतिपूर्ति नोट प्रस्तुत किया जाना है। इन दस्तावेजो को स्वंय की साइडिंग वाले निर्माता द्वारा डिविजनल कार्यालय में एक बार तथा वैगनो के लिए प्रत्येक मांग के पंजीकरण के समय तथा निर्माता द्वारा स्वंय की साइडिंग के अलावा अन्य का उपयोग करते हुए लदान केन्द्रो/उत्तराई केन्द्रो के स्टेशन मास्टर/मुख्य माल पर्यवेक्षक को डिलीवरी देते समय प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। इसके अलावा, बुक किए गए माल का वितरण केवल रेलवे रसीद (आरआर) पर वर्णित प्रेषिती को किया जाना था। लौह-अयस्क की घरेलू खपत हेतु मालभाड़े का लाभ उठाते समय दस्तावेजो की प्रस्तुति न करने/आंशिक रूप से करने, झूड़े /गलत, भ्रामक दस्तावेजो की प्रस्तुति के निम्नलिखित परिणाम हुए:

- वन टाइमर द्वारा किसी भी निर्धारित उत्पाद शुल्क संबंधी दस्तावेजो की प्रस्तुति में विफलता के परिणामस्वरूप दस्तावेजो की एक समय प्रस्तुति की पात्रता अयोग्य हुई। ऐसे मामले में निर्माता को घरेलू खपत हेतु मालभाड़ा दर का लाभ उठाने के लिए लदान केन्द्रो पर प्रत्येक मांग का पंजीकरण करते समय सभी दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- दस्तावेजो की आंशिक प्रस्तुति/प्रस्तुति न होने अथवा गलत, झुठे तथा भ्रामक क्षतिपूर्ति नोट की प्रस्तुति के परिणामस्वरूप स्लैब के अनुसार मूल मालभाडे की श्रेणी 180 सहित दूरी आधारित प्रभार पर (दूरी स्लैब के अनुसार एकमुश्त राशि सहित एक प्रतिशत सम्मिलित करते हुए) मालभाड़ा प्रभारित होगा तथा कम प्रभार की वसूली की जाएगी।
- डीएफपी[26] के प्रावधानो के अनुसार यदि किसी स्तर पर यह पता चले कि अग्रेषण नोट[27] तथा/अथवा शपथपत्र में वर्णित अनुमोदन झूठा, गलत या भ्रामक था तो गलत घोषणा के लिए प्रभार्य मालभाड़े के चार गुना की दर पर जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे प्रेषको तथा प्रेषितियो को तीन वर्षो की अवधि के लिए काली सूची में डाला जाएगा।

2.5 लौह अयस्क की बुकिंग में अनियमितताएं

लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय रेलवे पर चयनित लदान तथा उत्तराई केन्द्रो में प्रेषितियो द्वारा दस्तावेजो की एक बार प्रस्तुति तथा निर्धारित दस्तावेजो की प्रस्तुति के लिए अपनी साइडिंग वाले प्रेषितियो की अधिसूचना प्रणाली की समीक्षा की। समीक्षा से पता चला कि:

[26] रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश (मई तथा जुलाई 2008)

[27] समान के लिए रेलवे को किसी व्यक्ति को कोई माल को सौपते हुए निर्दिष्ट रूप में अग्रेषण नोट संचालित करना चाहिए। प्रेषक प्रस्तुत विशेषताओ की यथार्थता हेतु उत्तरदायी होना चाहिए तथा अग्रेषण नोट में विशिष्टताओ की अयथार्थता या अपूर्णता के कारण हुई खराबी के लिए रेलवे स्टेशन को क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। (रेलवे अधिनियम, 1989 का खण्ड 64)

हालांकि विभिन्न अवसरो पर प्रेषितियो संबंधित रेलवे प्राधिकरणो[28] को कुछ या सभी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए अथवा अमान्य दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, तथापि, रेलवे प्राधिकारियों ने घरेलू खपत दर पर मालभाड़ा प्रभारित करते हुए लौह अयस्क बुक किया जिसके परिणामस्वरूप काफी मात्रा में मालभाड़े का अपवंचन हुआ। कई मामलों में, प्रेषितियो द्वारा अग्रेषण नोट तथा शपथपत्र की गलत तथा भ्रामक अनुमोदन के साथ प्रस्तुति की गई। ये निर्धारित प्रावधानो के अनुसार जुर्माने के लिए उपयुक्त मामले थे। रेलवे डिविजन तथा चयनित लदान, उत्तराई केन्द्रो पर इस संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 2.2 लेखापरीक्षा निष्कर्षों की सारांश स्थिति

विवरण	***लदान केन्द्र***				***उत्तराई केन्द्र***	
	जांच किए गए आरआर-90766 पाई गई अनियमितताएं (आरआर)-12425				**जांच[29] किए गए आरआर-120088/20516 पाई गई अनियमितताएं (आरआर)-15889**	
	दस्तावेज प्रस्तुत न करना	दस्तावेजो को आंशिक प्रस्तुत करना	अमान्य दस्तावेज प्रस्तुत करना	अमान्य शपथपत्र/अग्रेषण नोट	क्षतिपूर्ति नोट तथा/अथवा शपथपत्र की प्रस्तुति न करना/आंशिक रूप से करना	अमान्य शपथपत्र/क्षतिपूर्ति नोट[30] की प्रस्तुति करना
प्रेषितियों की संख्या	225	218	49	205	340	150
रेको की संख्या	2079	5083	190	5041	9943	1251
मालभाड़ा अपवंचन (₹ करोड़ में)	957.76	2309.06	108.42	--	4100.72	407.89
जुर्माना (₹ करोड़ में)	--	--	--	10582.68	--	830.04

दस्तावेजो की प्रस्तुति न करना, आंशिक रूप से करना तथा अमान्य दस्तावेजो की प्रस्तुति के परिणामस्वरूप ₹ 7883.85 करोड़ का मालभाड़ा अपवंचन तथा ₹ 11412.72 करोड़ का जुर्माना हुआ। विवरण की आगामी पैराग्राफो में चर्चा की गई है।

---

[28] मुख्य माल पर्यवेक्षक /मुख्य माल लिपिक/वरिष्ठ डीसीएम

[29] सम्पूर्ण रूप से लेखापरीक्षा ने उत्तराई केन्द्रो पर 120088 आरआर की जांचकी जिसमें से 20516 आरआर उन गैर वन टाइमर या वन टाइमर से संबंधित थे जिन्होंने दस्तावेजो की प्रस्तुति में चूक की थी तथा इस प्रकार गैर वन टाइमर हो गए थे।

[30] अमान्य क्षतिपूर्ति नोट की प्रस्तुति के परिणामस्वरूप मालभाड़े का कम उद्ग्रहण हुआ तथा अमान्य शपथपत्र की प्रस्तुति ने जुर्माने को आकृष्ट किया।

2.5.1 लदान केन्द्रो पर दस्तावेजो की प्रस्तुति न करना

सात क्षेत्रीय रेलवे में 83 चयनित लदान केन्द्रो की लेखापरीक्षा नमूना जांच से पता चला कि 225 प्रेषितियो जिन्होंने स्वयं या अपनी एजेंसियो के माध्यम से लौह अयस्क बुक किया था, के संबंध में रेलवे प्राधिकारियों[31] ने घरेलू दर पर मालभाड़ा प्रभारित करते हुए चार[32] क्षेत्रीय रेलवे (दपूरे, पूतरे, दपरे तथा दपूमरे) पर 2079 रैको की बुकिंग को मंजूरी दी भले ही इन प्रेषितियो द्वारा कोई निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न किया गया है।

तालिका 2.3

प्रेषितियों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत न करने के विवरण

क्षेत्रीय रेलवे	जहॉ प्रेषितियों ने अपनी साईडिंग को छोड़ कर लौह अयस्क बुक किया था					जहॉ प्रेषितियों ने अपनी साईडिंग के लिए लौह अयस्क बुक किया था				कुल
	दपूरे	*पूतरे*	*दपरे*	*दपूमरे*	*कुल*	*दपूरे*	*पूतरे*	*दपरे*	*कुल*	
1	*2*	*3*	*4*	*2*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
प्रेषितियों की संख्या	132	43	8	2	185	17	22	01[33]	40	225
रैको की संख्या	1063	264	25	7	1359	362	71	287	720	2079
मालभाड़ा अपवंचन (₹ करोड़ में)	378.47	159.58	13.14	3.61	554.80	169.27	63.60	170.09	402.96	957.76

प्रेषितियो के स्वंय की साइडिंग के लिए लौह अयस्क की बुकिंग करने के संदर्भ में प्राधिकरण[34] से संबंधित अभिलेखों की जांच से पता चला कि -

- दपूरे में, 362 आरआर में से 302 आरआर प्रेषितियो के संदर्भ में मुख्य माल लिपिक/मुख्य माल पर्यवेक्षक ने वन टाइमर के रूप में उन्हें व्यावहारिक करने की प्रेषितियों को घरेलू दर पर बुकिंग की अनुमति दी भले ही वे वन टाइमर के रूप में वरिष्ठ डीसीएम द्वारा अधिसूचित नहीं थे। उन्होंने लदान केन्द्रो पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नही किए।

---

[31] मुख्य माल लिपिक/मुख्य माल पर्यवेक्षक

[32] शेष तीन क्षेत्रीय रेलवे (परे, पमरे तथा दरे) में कोई मामला नहीं पाया गया ।

[33] यद्यपि मै. बीएमएम इस्पात लि. ने अपनी साईडिंग के लिए खेप बुक की थी, परन्तु चूंकि कम्पनी की एक पेलेटाइजेशन इकाई है, इसलिए उन्हें 2009 के दर परिपत्र संख्या 36 के पैरा 5 के आधार पर प्रत्येक रेक के लिए पृथक रूप से संबंधित स्टेशन पर सभी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं, लेकिन यह नहीं किया गया तथा लदान केन्द्रो पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये बिना ही घरेलू दर पर रेक बुक किए गए थे।

[34] संबंधित डिविजनो के वरिष्ठ डीसीएम के कार्यालय में

- शेष 60 आरआर के संबंध में, प्रेषितियों ने फैक्टरी लाइसेंस, मजदूर पंजीकरण प्रमाणपत्र जैसे एक या अधिक दस्तावेजो की वैद्‌यता समाप्त होने अथवा तिमाही आधार पर मासिक उत्पाद शुल्क विवरणियों की प्रस्तुति में चूक के कारण वन टाइमर की स्थिति खो दी। तथापि, इसमें वरिष्ठ डीसीएम द्‌वारा प्रेषितियों की अधिसूचना रद्द करने में विलम्ब था। इसके कारण प्रेषितियो ने वन टाइमर को स्वीकार्य लाभ लेना जारी रखा।
- पूतरे में, 71 आरआर के संदर्भ में, प्रेषिति ने वन टाइमर के रूप में पंजीकरण हेतु वरिष्ठ डीसीएम से सम्पर्क न ही किया नही लदान केन्द्रो /डिविजनो पर दस्तावेज प्रस्तुत किए।

मुख्य माल पर्यवेक्षक/मुख्य माल लिपिक/वरिष्ठ डीसीएम द्‌वारा घरेलू दरो पर 225 प्रेषितियों से उनकी साइडिंगो/उनकी साइडिंगो के अलावा अन्यो की बुकिंग तथा रैको की बुकिंग के लिए निर्धारित दस्तावेज प्राप्त किए बिना मांग की स्वीकृति के परिणामस्वरूप रेलवे बोर्ड के दर परिपत्र के अनुसार मई 2008 से सितम्बर 2013 की समयावधि के दौरान ₹ 957.76 करोड़ मालभाड़े का अपवंचन हुआ। रैको जिसके संदर्भ में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे, की संख्या के साथ प्रेषितियों की क्षेत्रीय रेलवे वार सूची ***परिशिष्ट III (क)*** *और III (ख) में दी गई है।*

2.5.2 लदान केन्द्रो पर दस्तावेजो की आंशिक प्रस्तुति

सात जोनल रेलवे में 83 चयनित लदान केन्द्रो पर 90766 आरआर की लेखापरीक्षा नमूना जांच से पता चला कि 218 प्रेषितियो जिन्होंने स्वयं या अपनी एजेंसी के माध्यम से लौह अयस्क बुक किया था, को रेलवे प्राधिकारियों[35] ने घरेलू दर पर मालभाड़ा प्रभारित करते हुए पाँच[36] क्षेत्रीय रेलवे (दपूरे, पूतरे, दपरे, परे तथा दपूमरे) पर 5083 रैको की बुकिंग अनुमत की भले ही इन प्रेषितियो द्‌वारा कोई निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था।

---

[35] मुख्य माल लिपिक/मुख्य माल पर्यवेक्षक

[36] शेष दो क्षेत्रीय रेलवे (दपूमरे तथा दरे) में कोई मामला नहीं पाया गया।

तालिका 2.4 प्रेषितियों द्वारा दस्तावेजो की आंशिक प्रस्तुति का ब्यौरा				
अपेक्षित दस्तावेजों का विवरण	अपनी साइडिंग के अलावा लौह अयस्क की बुकिंग करने वाले प्रेषिति		अपनी साइडिंग की तरफ लौह अयस्क की बुकिंग करने वाले प्रेषिति	
	प्रेषितियों की संख्या	आरआर की संख्या जिनके संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे	प्रेषितियां की संख्या	आरआर की संख्या जिनके संबंध में दस्तावेज प्रसतुत नहीं किए गए थे
1 औद्योगिक उद्यम ज्ञापन (आईईएम)	63	341	8	47
2 प्रचालन की सहमति (सीएफओ)	71	280	8	67
3. फैक्ट्री लाइसेंस (एफएल)	72	283	8	64
4 ठेका श्रम अधिनियम (सीएलए) के अन्तर्गत पंजीकरण का प्रमाणपत्र	75	338	8	46
5 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीईआरसी)	61	254	8	46
6 मासिक उत्पाद शुल्क रिटर्न(एमईआर)	131	558	18	3839
7 शपथ पत्र	108	446	14	3930
8 क्षतिपूर्ति बंध-पत्र/बांड	90	418	18	3984

मुख्य माल पर्यवेक्षक/मुख्य माल क्लर्क/वरिष्ठ डीसीएम द्वारा आंशिक दस्तावेजों का स्वीकरण और रेकों के आवंटन और लौह अयस्क की घरेलू दरों पर बुकिंग की गई थी, जिसके कारण दोनों अपनी स्वयं की साइडिंग में लौह अयस्क की बुकिंग करने वाले परेषितियों और अपनी साइडिंग के अलावा दूसरी तरफ लौह अयस्क की बुकिंग करने वाले परेषितियों के संबंध में मई 2008 से सितम्बर 2013 की अवधि के दौरान ₹ 2309.06 करोड़ का माल भाडा अपवचन हुआ। जोनल रेलवे वार विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 2.5											
परेषितियों द्वारा आंशिक रूप से दस्तावेजों के प्रस्तुत करने का ब्यौरा											
	अपनी साइडिंगों के अलावा लौह अयस्क की बुकिंग करने वाले परेषिति						*अपनी साइडिंगों में लौह अयस्क की बुकिंग करने वाले परेषिति*				
जोनल रेलवे	*दपूरे*	*पूतरे*	*दपरे*	*पमरे*	*परे*	*जोड़*	*दपूरे*	*पूतरे*	*दपरे*	*जोड़*	***कुल जोड़***
परेषितियों की सं.	156	32	4	1	1	194	22	1[37]	1[38]	24	218
रेकों की सं.	829	107	17	39	43	1035	4013	13	22	4048	5083
माल भाड़ा अपवंचन (₹ करोड़ में)	357.20	53.96	8.92	17.77	18.24	456.09	1839.13	2.19	11.65	1852.97	2309.06

*रेकों की संख्या के साथ परेषितियों की जोनल रेलवे वार सूची जिनके संबंध में अपेक्षित दस्तावेज आंशिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे जिन्हें **परिशिष्ट** IV **(क) और** IV **(ख)** में दिया गया है।*

2.5.3 लदान केन्दों पर अमान्य, गलत, झूठे दस्तावेजों की प्रस्तुती

चयनित लदान केन्द्रों में लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जॉच से पता चला कि चार[39] जोनल रेलवे (दपूरे, पूतरे, दपरे और पमरे) में 49 परेषितियों (या तो अपनी स्वयं की साइडिंग या अपने के अलावा अन्य साइडिंग में लौह अयस्क की बुकिंग) द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कमियां थीं। दस्तावेजों में कमियों में अपेक्षित के अलावा पूर्व अवधि के लिए प्रस्तुत मासिक उत्पाद शुल्क रिटर्न प्रचालन की सहमति (सीएफओ) की मंजूरी नहीं थी क्योंकि मामला न्यायलयाधीन हैं इसलिए परेषिति का नाम हाथ से सही किया गया इत्यादि, जैसे मामले शामिल थे। उन दस्तावेजों जिनमें कमियां पाई गई थी और ऐसे

---

[37] यद्यपि, दस परेषितियों ने अपनी साइडिंग पर लौह अयस्क की बुकिंग की थी, इसे वरिष्ठ डीसीएम द्वारा अधिसूचित नही किया गया था। 13 रेकों के संबंध में भी लदान केन्द्रों पर आंशिक दस्तावेजे प्रस्तुत किए गए थे।

[38] मै. बीएमएम इस्पात लि. ने अपनी साइडिंग की तरु परेषण बुक किए थे। क्योंकि कम्पनी के पास पेलेटिज़ेशन यूनिट है, उन्हें 2009 के परिपत्र सं. 36 के पैराग्राफ सं. 5 के अनुसार प्रत्येक रेक के लिए अलग से संबंधित स्टेशन के लिए अपेक्षित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक था। ऐसा नही किया गया और रेकों को घरेलू खपत दर पर प्रभारित माल भाडे पर बुक किया गया था।

[39] बकाया तीन जोनल रेलवे (दपूमरे, परे, दरे) मे ऐसा कोई मामला नही पाया गया था।

कमियों वाले दस्तावेजों से बुक किए गए रेकों की संख्या (आरआर) नीचे तालिका में दर्शायी गई हैं।

तालिका 2.6		
परेषितियों द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्धारित दस्तावेजों में पाई गई कमियां		
अपेक्षित दस्तावेज का नाम	**परेषितियों की संख्या**	**प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के संबंध में आर आर की संख्या त्रुटिपूर्ण थी**
1 औद्योगिक उद्यम ज्ञापन (आईईएम)	9	25
2. प्रचालन की सहमति (सीएफओ)	14	46
3. फैक्ट्री लाइसेंस (एफएल)	10	38
4.ठेका श्रम अधिनियम (सीएलए) के तहत पंजीकरण का प्रमाणपत्र	14	87
5.केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीआरसी)	2	2
6. मासिक उत्पाद शुल्क रिटर्न (एमईआर)	9	17
7. क्षतिपूर्ति नोट/बंधपत्र	35	73

लेखापरीक्षा ने पाया कि रेलवे ने इन दस्तावेजों के आधार पर 190 रेक बुक किए थे और धरेलू उपभोग दर पर परिवहन अनुमत किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 108.42 करोड़ का कर अपवंचन हुआ जैसे नीचे ब्यौरे दिया गया है:

तालिका 2.7					
लदान केन्द्रों पर अमान्य दस्तावेजों के स्वीकरण के कारण माल भाड़ा अपवचंन					
जोनल रेलवे	**दपूरे**	**पूतरे**	**दपरे**	**पमरे**	**जोड़**
परेषितियों की संख्या	26	21	1	1	49
रेकों की संख्या	70	75	1	44	190
माल भाडा अपवंचन (₹ करोड़ में)	37.84	45.10	0.62	24.86	108.42

रेकों की संख्या सहित परेषितियों की जोनल रेलवे वार सूची जिनके संबंध में प्रस्तुत दस्तावेज अमान्य थे परिशिष्ट V(क) में दी गई हैं।

2.5.4 शास्ति का लगाया जाना

दिनांक मई और जुलाई 2008 के रेलवे बोर्ड के अनुदेशों में माल भाड़े के चार गुना की दर से शास्ति लगाने का प्रावधान है यदि किसी भी स्तर पर यह पता लगे कि प्रेषण नोट और/या शपथपत्र में पृष्ठांकन गलत/झूठा/भ्रामक था।

लेखापरीक्षा द्वारा चयनित लदान केन्द्रों की नमूना जांच से गलत उदघोषणा के लिए प्रभार्य दर से चार गुना पर शास्ति[40] लगाने में कमियों के मामले पाए गए थे। चूकों में आरआर संख्या के बिना शपथपत्र और/या तिथि या ऐसी तिथि के साथ जो आरआर तिथि से काफी पहले या बाद की थी, शपथपत्र पर प्रार्थी के हस्ताक्षर मौजूद नहीं थे प्रेषण टिप्पणी घरेलू उपयोग आदि के लिए पृष्ठांकित नही थे इत्यादि जैसे मामले शामिल थे। तीन[41] जोनल रेलवे (दपूरे, पूतरे ओर दपरे) में चयनित लदान केन्द्रों पर रेकों की जोनल वार संख्या, जहां प्रस्तुत शपथपत्र और/या प्रेषण नोट गलत पाए गए थे नीचे दिए गए है:

तालिका 2.8								
प्रेषण नोट में शपथपत्र और पृष्ठांकन मे कमियाँ								
जोनल रेलवे	**प्रेषण नोट और शपथपत्र दोनो**		**शपथपत्र**		**प्रेषण नोट**		**जोड़**	
	आरआर की सं.	*परेषणों की सं.*	*आरआर की सं.*	*परेषणों की सं.*	*आरआर की सं.*	*परेषणों की सं.*	*आरआर की सं.*	*परेषणों की सं.*
पूतरे	0	0	109	25	0	0	109	25
दपूरे	142	61	464	103	4325	128	4931	179
दपरे	0	0	1	1	0	0	1	1
जोड़	142	61	574	129	4325	128	5041	205

चूंकि इन मामलों में प्रस्तुत की गई सूचना गलत, झूठी या भ्रामक थी, इन 5041 आरआर के संबंध में ₹ 10582.67 करोड़ की शास्ति प्रभार्य दर से चार गुना तक उदग्राहय थी। इन गलतियों का रेलवे प्रशासन द्वारा पता नही लगाया जा सका था। जोनल रेलवे वार विस्तृत बयौरा नीचे दिया गया है:

तालिका 2.9				
शास्ति का जोन वार ब्यौरा				
जोनल रेलवे	***दपूरे***	***पूतरे***	***दपरे***	***जोड़***
परेषितियों की संख्या	179	25	1	205
रेकों की संख्या	4931	109	1	5041
उदग्राहय शास्ति (₹ करोड़ में)	10121.33	459.18	2.16	10582.67

जोनल रेलवे वार आरआर की संख्या जहां परेषितियों ने अमान्य दस्तावेज प्रस्तुत किए थे का विवरण परिशिष्ट V (ख) मे दिया गया हैं।

[40] दिनांक 8.11. 2006 की 2006 की आरसी सं. 95

[41] बाकी जोनल रेलवे (दपूमरे, पमरे, परे, दरे) में कोई मामले नही पाए गए थे।

2.6 उतराई केन्द्रों पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.6.1 उतराई केन्द्रों पर दस्तावेजों की प्रस्तुती न करना/आंशिक प्रस्तुती करना

अपनी निजी साइडिगों के अलावा लौह अयस्क की बुकिंग करने वाले परेषिति और अपनी स्वयं की साइडिंगो में लौह अयस्क की बुकिंग करने वाले परेषिति, किन्तु जिनका एक टाइमर स्टेटस नही हो, को उतराई केन्द्रों पर दो दस्तावेज (शपथपत्र और क्षतिपूर्ति नोट) प्रस्तुत करना अपेक्षित था। यदि सामाग्री प्राधिकृत एजेंट को सुपुर्द करना हो तो परेषिति को कम्पनी द्वारा जारी उचित प्राधिकरण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने 15[42] जोनल रेलवे में 180 उतराई केन्दों पर 120088 आरआर की जाँच की। इनमें से 20516 आरआर के संबंध में परेषितियों को उतराई केन्द्रों पर शपथ पत्र ओर क्षतिपूर्ति बन्धपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था। इनमें से 10539 आरआर नान वन टाइमरों से संबंधित थे और बकाया 9977 आरआर उन परेषितियों से संबंधित थे जिन्होनें अपनी निजी साइडिंगों की ओर लौह अयस्क बुक किया था किन्तु जिनके पास वन टाइमर स्टेटस नही था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 20516 आरआर मे से 15889 आरआर में या तो शपथपत्र या क्षतिपूर्ति नोट या दोनों उतराई केन्द्रों पर प्रस्तुत नही किए गए थे अथवा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों मे कमी पाई गई थी। इन 15,889 आर आर में 4695 आरआर[43] शामिल हैं जिनके संबंध में संबंधित उतराई केन्द्रों पर दस्तावजों की गैर प्रस्तुती आंशिक प्रस्तुती या अमान्य दास्तावेजों की प्रस्तुती की गई थी। उतराई केन्द्रों पर बकाया 11194 आरआर के संबंध में जोनल रेलवे वार शपथ पत्र और/या क्षतिपूर्ति नोट को गैर प्रस्तुति की आंशिक प्रस्तुति/अमान्य प्रस्तुति शपथपत्र की गई थी को नीचे गैर प्रस्तुति तालिका में दर्शाया गया है:

---

[42] दपूरे, दपरे, परे, दमरे, पूरे, उमरे, पूमरे, उरे, दपूमरे, मरे पूर्वोत्तर रे, पमरे, दरे पूतरे और करे

[43] मरे-165, पूतरे-211, पूरे-10 कोरे-9 पूर्वोत्तर रे-1, उरे-1, दपूमरे-172, दपूरे-3864 दपरे-251, परे-11

तालिका 2.10							
उतराई केन्द्रों पर जोन वार दस्तावेजों की गैर प्रस्तुति /आंशिक प्रस्तुति /अमान्य प्रस्तुति को दर्शाने वाला विवरण							
जोनल रेलवे	जांच किए गए आरआर की कुल संख्या	प्रस्तुत न किए गए क्षतिपूर्ति नोट और शपथ पत्र दोनों	क्षतिपूर्ति नोट की प्रस्तुति न करना	शपथ पत्र के प्रस्तुति न करना	अमान्य क्षतिपूर्ति नोट की प्रस्तुति	अमान्य शपथपत्र की प्रस्तुति	रेकों की कुल संख्या
मरे	1597	62	277	3	4	24	370
पूतरे	26760	193	191	3	74	57	518
पूमरे	981	0	0	0	0	0	0
पूरे	10478	13	176	7	561	25	782
करे	269	4	0	17	139	38	198
उमरे	203	0	0	0	0	0	0
पूर्वोत्तर रे	100	76	0	0	0	0	76
उरे	112	10	0	82	1	0	93
दमरे	1142	384	0	0	0	0	384
दपूमरे	30061	1895	769	4	7	23	2698
दपूरे	41343	4846	489	11	16	208	5570
दरे	2443	35	78	0	0	0	113
दपरे	4226	83	0	0	0	0	83
पमरे	83	68	0	0	0	0	68
परे	290	77	90	0	69	5	241
जोड़	**120088**	**7746**	**2070**	**127**	**871**	**380**	**11194**

बकाया 11194 आरआर के बारे में जैसाकि कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता हैं:

- 7746 आरआर में उतराई केन्द्रों पर शपथपत्र और क्षतिपूर्ति नोट दोनों प्रस्तुत नही किए गए थे,
- 2070 आरआर में क्षतिपूर्ति नोट प्रस्तुत नही किए गए थे और
- 127 आरआर में शपथपत्र प्रस्तुत नही किए गए थे,
- 871 आरआर में प्रस्तुत किए गए क्षतिपूर्ति नोट अमान्य/त्रुटिपूर्ण थे।

इन दो दस्तावेजों की गैर प्रस्तुति/आंशिक प्रस्तुति और क्षतिपूर्ति नोट की अमान्य प्रस्तुति के परिणामस्वरूप ₹ 4508.61 करोड़ का माल भाड़ा अपवंचन हुआ।

- बकाया 380 आरआर के संबंध में प्रस्तुत किए गए शपथपत्रों में कमियां/अमान्य थे जिनसे ₹ 830.04 करोड़ की शास्ति उगाही जा सकती थी।

दस्तावेजों की गैर प्रस्तुति/आंशिक प्रस्तुति/अमान्य दस्तावेजों की गैर प्रस्तति के बावजूद पेरषणों की सुपुर्दगी का अनुमत करना जोकि दर परिपत्रों में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन था रेलवे प्रशासन ने 10814 आरआर के संबंध में ₹ 4508.61 करोड़ का माल भाड़ा अपवचंन अनुमत किया। 380 आरआर के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों (शपथपत्र) में गलतियों के दृष्टिगत ₹ 830.04 करोड़ की शास्ति उदग्राहय होगी।

आरआर की जोनल रेलवे वार संख्या जहां परेषितियों ने शपथपत्र और/या क्षतिपूर्ति नोट प्रस्तुत नही किया/आंशिक रूप से प्रस्तुत अमान्य प्रस्तुत किया को अनुबंध VI (क), VI (ख) और VI (ग) में दिया गया है।

2.7 सेल द्वारा दस्तावेजों की प्रस्तुति न करना/आंशिक प्रस्तुति करना

लेखापरीक्षा में देखा गया कि स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जिसकी लौह अयस्क के लदान और उतराई के लिए साइडिंगों के साथ अपनी केप्टिव खाने हैं ने नियमों का अनुपालन नहीं किया और वन टाइमर स्टेटस वाले परेषितियों के लिए सुसंगत अपेक्षित दस्तावेजों की प्रस्तुति करने में विफल रहा। इसके बावजूद रेलवे प्रशासन ने सेल के वन टाइम स्टेटस को डीनोटिफाई नहीं किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि सेल ने 1184 आरआर के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया और लदान केन्द्रों पर 7773 आरआर और उतराई केन्द्रों पर 1256 आरआर संबंध में आंशिक रूप से दस्तावेज प्रस्तुत किए। उच्च माल भाडा दर लगाई जा सकती थी, जिसकी उगाही करने में रेल प्रशासन विफल रहा जिसके कारण ₹ 4838.80 करोड़[44] तक का मालभाड़ा कम प्रभारित किया गया। दो आरआर के

[44] 1184 आरआर के लिए ₹ 385.76 करोड़ 7773 आरआर के लिए ₹ 4106.88 करोड़ और 1256 आरआर के लिए ₹ 346.16 करोड़

संबंध में त्रुटियों वाले शपथपत्र की प्रस्तुती के कारण शास्ति के प्रति ₹ 5.45 करोड़ की राशि भी प्रभार्य थी।

2.8 'घरेलू खपत' दर पर मालभाड़ा लाभ उठाकर लौह अयस्क का परिवहन किया गया किन्तु इसका घरेलू खपत हेतु उपयोग नही किया गया।

जैसा कि दर परिपत्रों में निर्धारित है, लौह अयस्क के लिए लागू घरेलू दर का उपयोग लौह और इस्पात इत्यादि के उतपादन के लिए विशिष्ट विनिर्माण यूनिटों द्वारा किया जाता है अत: इसके किसी भी प्रकार के अप्रधिकृत विपथन या रेल प्रशासन द्वारा बाद में पता चली विनिर्माण युनिटों द्वारा इसे अप्राधिकृत रूप से हटाने का पता लगाने पर शास्ति लगाई जाएगी। यह इसलिए क्योंकि बुकिंग घरेलू दरों पर प्रेषण नोट में दिए गए पृष्ठांकन और शपथपत्र में दिए गए आश्वासन के आधार पर की जाती है कि परिवहन किया गया लौह अयस्क विनिर्माण यूनिट के उपयोग हेतु है।

लेखापरीक्षा ने दस्तावेजों की नमूना जाचं यह देखने के लिए की कि क्या उत्पाद शुल्क रिटर्न में घरेलू दर पर बुक किए गए लौह अयस्क का कोई अप्राधिकृत विपथन/कम रिपोर्टिंग की गई या विनिर्माण यूनिट से इसे अप्राधिकृत रूप से हटाया गया था। इसके लिए लेखापरीक्षा ने कुछ चयनित परेषितियों की सीआरआईएस डाटा के अनुसार घरेलू दर पर रेल द्वारा परिवहन मात्रा विनिर्माण यूनिटों से उसके उपयोग और हटाने के संबंध में सूचना की तुलना उत्पाद शुल्क रिटर्न ईआर 6/ईआर 4 से की (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग से एकत्रित) और इन परेषितियों द्वारा अपने वार्षिक लेखों (कम्पनी मामला विभाग से एकत्रित) मे समाविष्ट कच्चे माल के उपयोग पर सूचना से की। अध्ययन से निम्नलिखित का पता चला।

2.8.1 विनिर्माण यूनिट में घरेलू दर पर रेल द्वारा परिवहन किए गए लौह अयस्क की कम रिपोर्टिंग और अनुप्रयोग

लेखापरीक्षा ने 303 परेषितियों में से 188[45] लौह और इस्पात विनिर्माण यूनिटों के संबंध में उत्पाद शुल्क रिटर्न की जांच की जैसाकि इनहें केन्द्रीय

[45] दपूरे-46, दपूमरे-37 पूतरे-22 दपरे-10, परे-10, पमरे-1, दरे-5, उपूरे-1, मरे-10, करे-2, उमरे-2, पूमरे-16, पूरे-13, उरे-2, और दमरे-11,

उत्पाद शुल्क से संग्रहीत किया जा सकता था इन 188 परेषितियों[46] द्वारा घरेलू खपत दर पर रेल को सीआरआईएस डाटा से प्राप्त किया गया था और इसकी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग को परेषितियों द्वारा प्रस्तुत उत्पाद शुल्क रिटर्न (ईआर 6/ईआर 4)[47] में उपलब्ध के रूप में 'लौह अयस्क' की प्राप्ति के तदनुरूपी आंकडों से तुलना की गई थी। यह पाया कि:

- 61 लौह एवं इस्पात विनिर्माण यूनिटों के मामले में परेषितियों द्वारा उत्पाद शुल्क रिटर्न में प्राप्ति के रूप मे दर्शायी गई मात्रा रेल द्वारा परिवहन की गई मात्रा से 71.22 लाख एमटी कम थी। यह सूचक था कि घरेलू खपत के लिए लागू मालभाड़ा दर पर बुक और परिवहन की गई मात्रा को तीसरे पक्षके व्यापार/निर्यात हेतु विपथित किया गया था।

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि 61 में से 48 परेषिति 8480 रेकों की बुकिंग करते समय निर्धारित दस्तावेज मासिक उत्पाद शुल्क रिटर्न (7669 आरआर) और दो कानूनी दस्तावेज अर्थात् क्षतिपूर्ति नोट (7918 आरआर) और शपथपत्र (7988 आरआर) प्रस्तुत करने में विफल रहे। यद्यपि यह 48 परेषिति अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहे तो भी संबंधित रेल प्रशासन द्वारा उन्हें घरेलू खपत दर पर लौह अयस्क का परिवहन अनुमत किया गया था। परेषिति वार ब्यौरा **विवरण ग** में दिया गया है।

उपरोक्त से पता चलता है कि परेषितियों के उत्पाद शुल्क रिटर्न की जांच न करने से रेल प्रशासन कम रिपोर्ट किए गए लौह अयस्क की मात्रा का निर्धारण करने में विफल रहा और धरेलू उद्देश्यों के लिए उपयोग नही करने से घरेलू खपत दरों पर लौह अयस्क के अनियमित परिवहन की सुविधा दी गई। फैक्ट्री परिसरों में प्रवेश से पूर्व घरेलू खपत दर पर परिवहन किए गए लौह अयस्क के विपथन से ₹ 5095.97 करोड़ की शास्ति लगाई जा सकी थी जिसकी वसूली नही की गई थी (अनुबंध VII)।

---

[46] दपूरे-15 दपूमरे-37 पूतरे-22 दपरे-10, परे-10, पमरे-1, दरे-5, पूर्वोतर-1, मरे-10, करे-2, उमरे-2, पूमरे-16, पूरे-13, उरे-2 और दमरे-11

[47] ईआर 4 कच्चे माल की खरीद और खपत सहित स्टाक स्थिति से संबंधित वार्षिक वित्तीय सूचना दर्शाता है और ईआर 6 प्रधान इनपुटों और अन्तिम उत्पादन शुल्क योग्य माल की मासिक प्राप्ति और खपत दर्शाता हैं।

2.8.2 लौह अयस्क फाइन्स को हटाने की प्रतिशतता में व्यापक परिवर्तन

जुलाई 2008 में ईडीआरएम, कोलकाता ने रेलवे बोर्ड को लौह अयस्क लम्प की क्रशिग की प्रक्रिया में फाइन्स सृजन के लिए क्षतिपूर्ति हेतु 25 प्रतिशत तक की सीमा तक अतिरिक्त आवंटन का सुझाव दिया ताकि फरनेस में उप्रयोग के लिए विशिष्ट आकार प्राप्त किया जा सके। किन्तु, यह परेषितियों को संयंत्र परिसरों के अन्दर क्रशिंग प्रबंधन और प्रक्रिया के सत्यापन के बाद ही किया जाना अपेक्षित था। यह भी प्रावधान किया गया था कि 1.7 गुना की मानकीय आवश्यकता को परिवर्तित नही किया जाना था। रेलवे बोर्ड ने इडीआरएम कोलकाता का सुझाव जुलाई 2008 में स्वीकार किया और इस प्रकार घरेलू खपत दर पर प्रभारित माल भाड़े पर रेल द्वारा बुक और परिवहन किए गए लौह अयस्क की कुल मात्रा में से लौह अयस्क फाइन्स के सृजन के लिए 25 प्रतिशत की सीमा को मान्यता दी। तथापि, लेखपरीक्षा ने पाया कि रेलवे बोर्ड ने मई 2009 में दर परिपत्र 36 बनाते समय इन सुझावो पर विचार नही और लौह अयस्क फाइन्स के अवशिष्ट/बाकी मात्रा के लिए कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नही की थी।

इसके अतिरिक्त, यह विशिष्ट खण्ड जो बिना किसी सीमा के घरेलू दर पर ले जाए गए लौह अयस्क के निर्यात के लिए बकाया/अवशिष्ट लौट अयस्क फाइन्स की अनुमति दे रहा था के वित्तीय प्रति प्रभाव को दर परिपत्र में बिना उपयुक्त तकनीकी प्राधिकारण[48] को मामला संदर्भित किए बिना जोड़ा गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि

(i) 15 जोनल रेलवे[49] में स्थिति 188 विनिर्माण यूनिटों के उत्पाद शुल्क रिटर्नों की संवीक्षा, जैसा कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग से एकत्र किया गया था, से देखा गया कि 43 परेषितियों ने केवल रेल द्वारा घरेलू खपत दर पर बुक की गई और परिवहन की गई मात्रा में से फैक्ट्री परिसरों से 38.16 लाख एमटी 'लौह अयस्क' हटाया था। इनमें से 43 परेषितियों में से 23 परेषितियों ने रेल द्वारा प्राप्त 25 प्रतिशत से अधिक 8.79 लाख एमटी 'लौह अयस्क'

[48] भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय

[49] दपूर-46, दपूमरे-37, पूतरे-22, दपरे-10,परे-10, पमरे-1, दरे-5, पूर्वोतर रे -1, मरे-10, करे-2, उमरे-2, पूमरे-17, पूरे-13, उरे-2, दमरे-11

हटाया था। इन 23 परेषितियों की सूची अनुबंध VII में दी गई हैं कुछ वर्षों में तीन[50] परेषितियों के मामले में हटाने की प्रतिशतता 90 से 100 प्रतिशत थी।

(ii) इसके अतिरिक्त, पैलेट या सिंटर संयंत्रों वाली विनिर्माण यूनिटे ब्लास्ट फरनेस में सृजित फाइन्स को पैलेट/सिंटर में परिवर्तित कर उपयोग करने में समर्थ थीं। अत: उन्हें लौह अयस्क फाइन्स की हटाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थीं। तथापि यह दर परिपत्र में अनुबंद्ध नही किया गया था।

(iii) फैक्ट्री परिसरों से लम्प और फाइन्स हटाने को क्रमश: लौह अयस्क फाइन्स और लौह अयस्क लम्प के लिए पृथक वस्तु कोड दे कर जांच की जा सकती थी। तथापि लम्प और फाइन्स हेतु काफी देरी से एक पृथक वस्तु कोड निर्धारित किया गया था (जुलाई 2013)। लेकिन लेखापरीक्षा ने दखा कि इसे पूर्णत: लागू नही किया गया था।

(iv) एफओआईएस डाआ में, प्रत्येक परेषिति द्वारा की गई लौह अयस्क की बुकिंग की सही जानकरी प्राप्त करने के लिए भी प्रत्येक प्रेषक के लिए यूनिक पहचान कोड अनिवार्य है किन्तु ऐसा नही किया गया था।

एग्जिट कान्फ्रेंस (जनवरी 2015) के दौरान रेलवे बोर्ड ने कहा कि चूंकि खानों से लौह अयस्क लम्प और फाइन्स के मिश्रित रेंको का लदान जा सकता था और लम्प और फाइन्स की दरों में कोई अन्तर नही था इसलिए लम्प और फाइन्स के लदान की सख्ती से मानीटरिंग करना संभव नही था। उनका तर्क मान्य नही है। यदि रेलवे ने सभी परेषितियों जो पेलैटिसेशन संयंत्र/सिंटर संयंत्र के अभाव के कारण लौह अयस्क फाइन्स का उपयोग करने की स्थिति में नही थे किन्तु लौह अयस्क फाइन्स के परिवहन हेतु रेकों को इन्डेंट कर रहे थे के विनिर्माता को यूनिक पहचान कोड दे कर पहचान की थी, तो यह घरेलू दर पर परिवहन किए गए लौह अयस्क के अन्त उपयोग के सत्यापन के लिए पहला कदम हो सकता था।

वैसे तो 25 प्रतिशत की अनुमेय सीमा से आगे विनिर्माण यूनिटों से लौह अयस्क हटाना प्रथम दृष्टया अनियमित था और 'लौह अयस्क' को अनियमित रूप से हटाने(अनुमेय सीमा से आगे) के लिए रेलवे द्वारा शास्ति लगाई जा सकती थी जो उपयुक्त होगी।

---

[50] महेश्वरी इस्पात लिमिटेड, एसपीएस स्टील और रोलिंग मिल्स लिमिटेड और राय माता इस्पात इंडिया लिमिटेड

इस प्रकार, मई 2008 से सितम्बर 2013 की अवधि के दौरान लौह एवं इस्पात विनिर्माण परेषितियों द्वारा पूर्ण और वैद्य दस्तावेजों की प्रस्तुति सुनिश्चित करने में रेलवे की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 7883.85 करोड़ का माल भाड़ा अपवंचन हुआ। प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में अशुद्धियों/भ्रामक या झूठी सूचना के दृष्टिगत कई चूककर्त्ता परेषितियों पर ₹ 11412.72 करोड़ की शास्ति भी उदग्राहय थी। सेल के संबंध में दस्तावेजों की प्रस्तुति न करना/आंशिक प्रस्तुति/अमान्य प्रस्तुति के परिणामस्वरूप अमान्य शपथपत्रों की प्रस्तुति के परिणामस्वरूप अमान्य शपथपत्रों की प्रस्तुति के कारण ₹ 5.45 करोड़ की शास्ति के अलावा ₹ 4838.80 करोड़ का माल भाड़ा कम प्रभारित किया गया था। इसके अतिरिक्त, 'लौह अयस्क फाइन्स' के लिए ऊपरी सीमा निर्धारित किए बिना लौह अयस्क को हटाने के लिए अनुमति लौह अयस्क लम्प और लौह अयस्क फाइन्स के लिए पृथक कोड के उपयोग को लागू न करने से बिक्री या निर्यात के लिए विनिर्माण यूनिट से 'लौह अयस्क फाइन्स' को बडे पैमाने पर और निर्विवाद रूप से हटाने की गुंजाइश दी।

रेलवे इन परेषितियों के ईआर में दिए गए उन मामलों का पता चलाने में जहां घरेलू खपत दर पर रेल द्वारा परिवहित 'लौह अयस्क' को घरेलू उपयोग में नही लगाया गया था हटाने के ब्यौरे को ध्यान में रखने में भी विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप 61 परेषितियों के संबंध में ₹ 5095.97 करोड़ की शास्ति ईआर में लौह अयस्क की कम रिपोर्टिंग के परिणामस्वरूप लगाई जा सकी थी।

रेलवे बोर्ड ने बताया (जनवरी 2015) कि रेलवे के पास नामित गंतव्य स्टेशन पर प्रेषिति द्वारा लौह अयस्क की सपुर्दगी लेने के बाद अतत: इसके अन्तिम उपयोग का पता लगाने के लिए कोई स्पष्ट आन्तरिक तंत्र नही था। इसके अतिरक्त यह रेलवे था जिसने सबसे पहले मालभाड़ा अपवचंन के मामलों का पता लगाया था।

रेलवे का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वे अनुबद्ध आवश्यकताओं के अनुसार प्रेषिति द्वारा प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों का उपयोग नही करते। रेलवे द्वारा निर्धारित दस्तावेज जैसे ईआरज में सूचना होती है यथा विनिर्माण क्षमता, विनिर्माण इकाईयों से प्राप्त किये गए हटाए गए एवं प्रयोग किए गए लौह अयस्क की मात्रा, घरेलू उत्पादकों के लिए मालभाडा की न्यूनतम दर के अनुप्रयोज्यता अथवा अन्यथा सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक हैं। अत: इनमें सहज ही उपलब्ध महत्वपूर्ण सूचना की जाँचों की व्यवस्था के बिना

दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण निर्धारित करना इन्हे अर्थहीन बनाता हैं। मंत्रालय के इस दावे के संबंध में कि यह रेलवे ही था जिसने पहले मालभाड़ा अपवचन के मामलों का पता लगाया, यह बताया गया है कि दपूरे में माल शेड, भांगा में अधूरे शपथपत्र/क्षतिपूर्ति नोट के प्रस्तुतिकरण के बावजूद लौह अयस्क के परिवहन हेतु रियायती दरे अनुमत करने का मुद्दा सितम्बर 2009 में लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया था उसके बाद ही रेल प्रशासन ने मै. रश्मि मैटेलिक्स को अगस्त 2011 में तथा 16 अन्य चूककर्ता प्रेषितियों को सितम्बर 2012 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान मॉग नोटिस जारी किया था। इसके अतिरिक्त, इस तथ्य के बावजूद कि रेलवे बोर्ड नीतिके कार्यान्वयन कमजोरियों/चूकों से अच्छी तरह अवगत था इसलिए रेलवे बोर्ड ने कार्यन्वयन में कमियों/चूकों को दूर करने के लिए कोई विस्तृत दिशानिर्देशों जारी नही किये थे (जनवरी 2015)।

ग लौह अयस्क परिवहन के लिए रेकों का आंबटन एवं वितरण

2.9 लौह अयस्क यातायात हेतु रेकों का निर्धारण, आंबटन एवं वितरण

लौह अयस्क के परिचालन के संदर्भ में इस तथ्य पर विचार करते हुए कि भारतीय रेल के पास माँग की तुलना में रेकों की कमी है, रेकों के आंबटन की महत्ता पर अत्याधिक बल नहीं दिया जा सकता। अत: यह आवश्यक है कि रेकों का आंबटन एवं वितरण विवेकपूर्ण ढंग से तथा इस तरह किया जाए कि अनुचित प्रेषिति इनका दुरूपयों करने में सक्षम ना हों। विभिन्न श्रेणियों से संबंधित ग्राहकों के लिए रेकों की आवश्यकता का निर्धारण करने की प्रणाली हैं। इसके पश्चात रेकों का आंबटन ग्राहकों द्वारा प्रस्तुत किए गए माँग पत्रों के प्रति किया जाता है।

रेकों के आंबटन के उद्देश्य से, ग्राहकों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ग्राहकों को उसी क्रम में प्राथमिकता/वरीयता दी जाती है। इन श्रेणियों के लिए आंबटित वरीयताएं/प्राथमिकताएं तथा विशेषताएं नीचे दी गई है:

क) **केन्द्रीय व्यापार बोर्ड (सीबीटी) श्रेणी** – इस श्रेणी में एक मीलियन टन गर्म धातू (मॉल्टन पिग आयरन) की उत्पादन क्षमता तथा उनकी अपनी निजि साईडिंग वाले एकीकृत इस्पात संयंत्र जैसे ग्राहक शामिल हैं। सीबीटी श्रेणी के

लिए रेलवे से रेक के नियोजित आवंटन[51] को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

ख) **वैगन निवेश योजना (डब्ल्यूआईएस) श्रेणी** – इस श्रेणी मे वे ग्राहक शामिल हैं जो वैगन निवेश योजना[52] से जुडे हैं। रेलवेज के लिए सभी आवश्यक रेको का लदान करने के लिए सभी प्रयास करना आवश्यक है। जिसकी ठेकागत रूप से सहमति हुई है।

ग) **प्राथमिकता सी** – प्राथमिकता सी श्रेणी में वे प्रेषिती शामिल हैं जिनके पास 0.50 मीलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता वाले संयंत्र हैं अर्थात् जिन्हें प्रति माह 'लौह अयस्क की पाँच रेकों की आवश्यकता हैं। रेलवे को रेकों के समयबद्ध आंबटन को पूरा करने के लिए सभी प्रयास करने की आवश्यकता हैं। रेंकों की आवश्यकता का निर्धारण करते समय ग्राहकों के साथ आयोजित वैठकों के अलावा विचाराधीन तिमाही के पहले महीने को छोड़कर पिछले तीन महीनों में निर्माण इकाई में उत्पादन के लिए प्रयुक्त 'लौह अयस्क' की मात्रा जैसा उत्पाद रिटर्न (ईआरज) में दर्शाया गया है, को ध्यान में रखा जाता है। त्रैमासिक रूप से निर्धारित आवश्यकता क्षेत्रीय रेलवे[53] के संबंधित अधिकारियों को सूचित की जाती है ताकि तदनुसार रैक आंबटित किये जा सकें।

घ) **प्राथमिकता डी** - इस श्रेणी में अन्य सभी विनिर्माता शामिल हैं जो उपर बताई गई तीनों श्रेणियों में से किसी में नही आते। इस श्रेणी से संबंधित ग्राहकों द्वारा उत्पादन 0.50 मीलियन टन से कम होगा तथा वैगन रेकों की आवश्यकता प्रति माह पाँच से कम है। इस श्रेणी में, ग्राहक 'नियोजित यातायात' के तहत कवर नहीं हैं, तथा इसलिए उनके लिए कोई निर्धारण नहीं किया गया हैं। अत: न तो उनके लिए कोई रैक पहले ही विनिर्दिष्ट रूप से आंबटित किये गए हैं और ना ही कोई पूर्व-आश्वासन दिया गया है। उनकी

---

[51] वर्तमान में इस श्रेणी में स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि. (सेल) राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आरआईएनएल), टाटा स्टील लि. (टिस्को) नीलाचल इस्पात निगम लि. (एनआईएनएल) तथा जिन्दल स्टील एडं पावर लि. शामिल है।

[52] योजना 2005 में प्रांरभ की गई थी, जहाँ रेलवे वैगनों में निवेश करने वाले ग्राहकों को खरीदे गए रेकों की संख्या तथा मालभाड़ा में 10 प्रतिशत रियायत के साथ वैगनों के प्रकार के टर्न राउण्ड के आधार पर प्रत्येक माह रेकों की प्रतयाभूत संख्या की आपूर्ति का आवश्वासन दिया जाएगा।

[53] मुख्य प्रचालन प्रबन्धक और मण्डल (वरि. मण्लीय प्रचालन प्रबन्धक)

आवश्यकता अन्य तीन श्रेणियों की आवश्यकता पूरी करने के बाद पूरी की जाती है।

तथापि, प्राथमिकता डी ग्राहकों को रेक उपलब्धता का लाभ पहुँचाने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा विनियमन की सबसे पुरानी तिथि (ओडीआर) की धारणा विकसित की गई है।

इस धारणा के अन्तर्गत, प्रत्येक सप्ताह में दो दिन ओडीआर दिनों के रूप में नामित किये गए हैं, जिन पर ग्राहकों की श्रेणी पर विचार किये बिना, माँग पत्र की वरिष्ठता के आधार पर आंबटन किया जाता हैं।

दपूरे, पूतरे तथा दपूमरे के लिए, प्राथमिकता डी से अलग श्रेणियों से संबंधित ग्राहकों के मामले में, रेकों की मासिक आवश्यकता का निर्धारण प्रत्येक तिमाही को कार्यकारी निदेशक रेक प्रचालन रेलवे बोर्ड (ईडीआरएम) कोलकाता द्वारा हस्त्य रूप से किया जाता है। अन्य क्षेत्रीय रेलवेज में, इसका निर्धारण क्षेत्रीय रेलवेज के संबंधित वाणिज्यिक प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।

लदान केन्द्रों पर, रेकों के आवंटन हेतु माँगपत्र की प्राप्ति के पश्चात, दपूरे तथा पूतरे के चक्रधरपुर (सीकेपी) तथा खुर्दा रोड़ (केयूआर) मण्डल को छोड़कर, जहाँ लदान क्षमता, उतराई क्षमता तथा मार्ग क्षमता के अलावा प्राप्त हुए माँगपत्र रेकों की उपलब्धता तथा ग्राहकों की प्रत्येक श्रेणी हेतु निर्धारित प्राथमिकताओं और संतुष्टि स्तर एवं रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित ओडीआर नीति के आधार पर ईडीआरएम, कोलकाता अथवा संबंधित वरिष्ठ डीसीएम द्वारा आंबटित रेकों के आधार पर आंबटन कम्प्यूट्रीकृत रेक आंबटन प्रणाली (आरएएस) के माध्यम से किया जाता हैं, आंबटन हस्त्य रूप से किया जाता हैं। एफओआईएस के अन्य माड्यूलों से सुसंगत सूचना प्राप्त की गई है तथा उपर दर्शाये गए कारकों पर अन्तनिर्हित तार्किक कार्यक्रम के माध्यम से विचार किया गया है।

2.9.1 रेक निर्धारण तथा आबंटन में कमियाँ

लेखापरीक्षा ने पाँच क्षेत्रीय रेलवेज यथा दमरे, दपूमरे, पूतरे, दपरे तथा पमरे में रेकों की आवश्यकता निर्धारण, रेकों के निर्धारण एवं आवंटन हेतु प्रक्रिया का अध्ययन किया। यह देखा गया था कि-

- यद्यपि प्राथमिकता डी ग्राहकों को रेकों का आंबटन आकार में महत्वपूर्ण था, फिर भी रेकों के निर्धारण/आबंटन से पहले प्रेषितियों द्वारा उनकी

विनिर्माण इकाईयों में ''लौह तथा इस्पात के उत्पादन हेतु 'लौह अयस्क के उपयोग पर नियंत्रण नही था। यह दुरूपयोग के जोखिम से भरी एक गंभीर प्रणालीगत कमी थी। भारतीय रेल के दो मुख्य लदान केन्द्र मण्डलों अर्थात दमरे के चक्रधरपुर मण्डल (जनवरी 2011 से) तथा पूतरे के खुर्दा रोड़ मण्डल (मई 2011 से) में इस श्रेणी को दिये गए रेकों के आबंटन के अध्ययन से पता चला कि श्रेणी डी ग्राहकों को आंबटित रेकों की प्रतिशतता आंबटित रेकों की कुल संख्या की सीकेपी के मामले में 24 प्रतिशत से 33 प्रतिशत तथा केयूआर के मामले में 63 प्रतिशत से 83 प्रतिशत तक थी।

- यद्यपि प्राथमिकता सी ग्राहकों को रेकों का सुनिश्चित निर्धारिण प्राप्त होता है, फिर भी प्रेषितियों ने प्राथमिकता सी के बजाए प्राथमिकता डी के तहत वर्गीकृत होने के लिए एक बढ़ती वरीयता दर्शायी थी। दपूरे में, दस प्रेषिति[54] मार्च 2013 से मार्च 2014 के दौरान प्राथमिकता सी की सूची से हटकर प्राथमिकता डी ग्राहकों से जुड़ गए थे। यह इस तथ्य का सूचक है कि ग्राहक के लिए विनिर्माण इकाईयों पर 'लौह अयस्क' के उपयोग को सिद्ध किये बिना प्राथमिकता डी के तहत पर्याप्त रेक प्राप्त करना आसान था।

- नवम्बर 2010 के बाद से रेलवे बोर्ड ने अपेक्षित दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण के अध्यधीन प्राथमिकता सी ग्राहकों को प्राथमिकता डी के तहत मांगसूची रखने की अनुमति[55] दी है। समान ग्राहकों से दोनों श्रेणियों के तहत माँगपत्र स्वीकार करने की प्रक्रिया जोखिम से भरी है क्योंकि एक ग्राहक जो 'लौह अयस्क' के उपयोग के लिए डाटा के आधार पर प्राथमिकता सी के तहत रेकों का आवंटन प्राप्त करने के योग्य नही है, वह प्राथमिकता डी के तहत माँगपत्र प्रस्तुत कर सकता है तथा उस श्रेणी के तहत रेकों का आंबटन प्राप्त कर सकता है, जहाँ प्रयुक्त 'लौह अयस्क' की मात्रा की कोई जाँच नही की गई है।

---

[54] रशिम मेटेलिक्स लिमिटेड, अतिवीर इण्स्ट्रीज, यूरो प्रतीक इस्पात प्रा. लि, श्याम सेल एडं पावर लिमिटेड ग्रुप, मिडईस्ट इन्टीग्रेटिड स्टील, के आईसी मेटेलिक्स, सत्या पावर एडं इस्पात, नियो मैटेलिक्स, माँ चिन्नमस्तिका ग्रुप ऑफ कम्पनीज तथा एमबी इस्पात लिमिटेड

[55] रेलवे बोर्ड का पत्रांक 2007/टीटी-111 (एस)/32/16 दिनांक 16.11.2010

- दो ग्राहको[56] ने क्रमश: अगस्त 2012 तथा फरवरी 2013 में स्वयं को प्राथमिकता सी से हटाने का निर्णय लिया। तथपि, आवश्यकता का निर्धारण किया जाना जारी था तथा उन्हें प्राथमिकता सी के रूप में मानते हुए निर्धारण दिये गए।
- यद्यपि एक ग्राहक[57] का स्वंय को प्राथमिकता सी की सूची से हटाने हेतु आवेदन ईडीआरएम द्वारा 1 जून 2013 को स्वीकार किया गया था, फिर भी 1 जून 2013 के दौरान 15 रेकों का आंबटन प्राथमिकता सी के तहत किया गया था।
- रेको का आंबटन विभिन्न ग्राहकों द्वारा पिछली तिमाही की खपत के आधार पर किया जाता है। तथापि, रेकों के निर्धारण आंबटन की नमूना जांच से पता चला कि ग्राहकों को पिछली तिमाही[58] के दौरान खपत की मात्रा के आधार पर वास्तविक आवश्यकता से अधिक रेंक आबंटित किये गए थे जिसका ब्यौरा विवरण डी में दर्शाया गया है। सभी प्रेषिति अपनी विनिर्माण इकाईयों से लौह अयस्क की बड़ी मात्रा हटाते हुए पाए गए थे जो बेचा/निर्यात किया जा सकता है। विवरण डी की पहली तीन कम्पनियों ने रेल द्वारा घरेलू दर पर बुक किये गए लौह अयस्क की मात्रा भी उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को कम बताई थी जो बेचा/निर्यात भी किया जा सकता है। इस श्रेणी के तहत वैगन रेकों के आंबटन के प्रावधान त्रुटिपूर्ण थे क्योंकि कम उत्पाद वाला एक निर्माता कच्चा माल उठाने के लिए उत्पादन की मात्रा की सूचना दिए बिना अपेक्षित से अधिक रेक प्राप्त कर सकता था और तत्पश्चात प्राप्त हुए कच्चे माल का दुरूपयोग कर सकता है।

2.9.2 रेक आंबटन प्रणाली (आरएएस) में कमियाँ

सीआरआईएस द्वारा उपलब्ध कराए गए रेक आबंटन प्रणाली से डाटा के विश्लेषण तथा सीआरआईएस द्वारा तैयार किये गए दस्तावेजीकरण और उपयोक्ता नियमपुस्तिका के अध्ययन तथा नई दिल्ली में संबंधित

[56] दपूरे मै. श्याम सेल एडं पावर लिमिटेड तथा मै सुपर स्मैल्टर्स

[57] दपूरे में मै. जय बालाजी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड

[58] उत्पाद शुल्क रिटर्न से पिछली तिमाही की खपत ली गई है जहाँ आंबटित रेक/वजन रेक आंबटन प्रणाली डाटा से लिया गया था।

सीआरआईएस अधिकारियों के साथ आयोजित विस्तृत चर्चाओं से निम्नलिखित का पता चला:

- रेकों के आवंटन हेतु, मॉगपत्र के पंजीकरण का समय बहुत महत्वपूर्ण है जो मालभाडा प्रचालन सूचना प्रणाली (एफओआईएस) की टर्मिनल प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) से आरएएस द्वारा केप्चर किया जाता हैं। तथापि, यह देखा गया था कि टीएमएस में माँगपत्र के पंजीकरण का समय टीएमएस प्रयोक्ताओं[59] द्वारा हस्तलिखित रूप से दर्ज किया जा रहा था। इस प्रकार, ओडीआर में परिवर्तन करने तथा ग्राहकों को अनुचित लाभ पहुँचाने की गुजॉईश थी।

- दपूरे तथा पूतरे के क्रमश: चक्रधरपुर तथा खुर्दा रोड़ मण्डलों में श्रेणी सीबीटी के सभी प्रेषितियों तथा प्राथमिकता सी ग्राहकों को रेकों का निर्धारण तथा आंबटन आरएएस द्वारा स्वचालित रूप से किया जाना अपेक्षित है। तथापि, सीआरआईएस द्वारा उपलबध कराए गए डॉटा से यह देखा गया था कि 1 अप्रैल 2011 से 19 मई 2014 तक की अवधि के दौरान किये गए 66745 आंबटनों में से 13060 (19.57 प्रतिशत) आंबटन आरएएस में अन्तर्निहित तार्किक सेट की उपेक्षा करते हुए आरएएस में मानवीय हस्तक्षेप के माध्यम से किये गए थे (चक्रधरपुर मण्डल 21 प्रतिशत तथा खुर्दा रोड मण्डल-6.45 प्रतिशत)। समीक्षा अवधि के दौरान आरएएस के माध्यम से रेकों का पार्टी वार हस्त्य आंबटन विवरण ई में दिया गया है। रेलवे मण्डलों में इस सीमा तक रेकों का हस्त्य आंबटन जहाँ आंबटन को कम्प्यूट्रीकृत किया गया है, एक अच्छी प्रक्रिया नही समझी जा सकती क्योंकि इसका दुरूपयोग हो सकता है।

- रेकों के आंबटन के लिए सीबीटी प्रेषितियों को उच्चतम प्राथमिकता दी गई है। तथापि, एक गैर-सीबीटी ग्राहक[60] के पक्ष में नवम्बर 2012 में सीबीटी श्रेणी के तहत हस्त्य आंबटन किया गया था जो अनियमित है।

- लदान केन्द्र के लिए पासवर्ड दिया गया है जिसका उस केन्द्र पर तैनात सभी प्रयोक्ताओं द्वारा प्रयोग किया जाता है। अत: व्यक्तिगत के बजाए

---

[59] मुख्य माल पर्यवेक्षक तथा लदान लिपिक

[60] बोदर शिपिंग लिमिटेड

एक लदान केन्द्र पर कार्य कर रहे समूह के लिए अनुमत पासवर्ड एक कमजोर तार्किक पहुँच नियत्रंण है।

प्राथमिकता सी एवं डी ग्राहकों के लिए हस्त्य हस्तक्षेप द्वारा आरएएस के माध्यम से रेंको का आबंटन यह भी दर्शाता है कि आरएएस में सभी अन्तर्निहित नियंत्रणों जैसे ग्राहक रेक आवश्यकता, मार्ग क्षमता, प्राथमिकता, उदगम स्टेशन की लदान क्षमता, गंतव्य स्टेशन की उतराई क्षमता इत्यादि की उपेक्षा करते हुए चयनित ग्राहकों को अनुचित लाभ पहुँचाने का जोखिम विद्यमान है।

उपरोक्त उदाहरण यह भी दर्शाते हैं कि रेकों का निर्धारण/आबंटन विनिर्माण इकाईयों पर लौह अयस्क के वास्तविक उपयोग का पता लगाए बिना किया गया था।

जब दस्तावेजों के गैर-प्रस्तुतिकरण/आँशिक प्रस्तुतिकरण/अवैध प्रस्तुतिकरण का मुद्दा रेलवे बोर्ड के समक्ष उठाया गया था, तो उन्होंने बताया (जनवरी 2015) कि मामला क्षेत्रीय रेलवेज को अग्रेषित किया गया था तथा चूँकि बडी संख्या में दस्तावेजों का संग्रह तथा मूल्यॉकन किया जाना था, इसमें समय लगेगा। रेलवे बोर्ड ने यह भी आश्वासन दिया कि नियंत्रण एवं जाँचो को सुदृढ़ किया जाएगा।

विवरण सी

प्रेषितियों द्‌वारा दस्तावेजों के गैर-प्रस्तुतिकरण, आंशिक प्रस्तुतिकरण अथवा त्रुटिपूर्ण प्रस्तुतिकरण के विवरण जिन्होने उत्पाद शुल्क रिटर्न में भी लौह अयस्क कम बताया											
कम्पनी का नाम	बुकिंग/आरआर की संख्या	आईईएम	सीएफओ	फैक्ट्री लाइसेंस	सीएलए पंजीकरण प्रमाणपत्र	सीईआरसी	मासिक उत्पाद शुल्क रिटर्न	शपथ पत्र	क्षतिपर्ति बाण्ड	अग्रेषण नोट	क्या रेलवे द्‌वारा मांग ज्ञापन जारी किया गया।
आधुनिक एलॉय पावर प्राइवेट लिमिटेड	22	5	14	18	13	9	11	10	11	1	
ब्रह्मपुत्र मैटेलिक्स लिमिटेड	11	2	6	3	3	3	3	11	8	5	
ब्रावो स्पंज आयरन लिमिटेड	6	1	1	1	1	1	5	2	2	3	
धनबाद फ्यूल लिमिटेड	5	1	1	2	1	1	1	5	2	2	
दिव्य ज्योति स्पंज आयरन (पी) लिमिटेड	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
एस्सार स्टील लिमिटेड	103	7	7	8	91	7	10	16	18	8	हाँ
इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड	45	7	39	27	7	7	9	20	27	3	
गैलेन्ट इस्पात लिमिटेड	5	0	0	0	0	0	2	0	0	3	
हल्दिया स्टील	14	0	1	1	1	1	1	9	2	5	हाँ
हावड़ा गैसेज लिमिटेड	42	3	9	9	9	9	10	34	34	4	
जय दुर्गा आयरन प्राइवेट लिमिटेड	14	0	1	0	0	0	2	2	2	9	
जय बालाजी	131	55	59	59	58	58	103	106	96	8	

प्रेषितियों द्वारा दस्तावेजों के गैर-प्रस्तुतिकरण, आंशिक प्रस्तुतिकरण अथवा त्रुटिपूर्ण प्रस्तुतिकरण के विवरण जिन्होने उत्पाद शुल्क रिटर्न में भी लौह अयस्क कम बताया											
कम्पनी का नाम	बुकिंग/आरआर की संख्या	आईईएम	सीएफओ	फैक्ट्री लाइसेंस	सीएलए पंजीकरण प्रमाणपत्र	सीईआरसी	मासिक उत्पाद शुल्क रिटर्न	शपथ पत्र	क्षतिपर्ति बाण्ड	अग्रेषण नोट	क्या रेलवे दवारा मांग ज्ञापन जारी किया गया।
इंडस्ट्रीज लिमिटेड											
जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	3308	2	2	2	2	2	3306	3308	3307	2	
के. आई. सी. मेटालिक्स लिमिटेड	18	0	0	0	0	0	2	13	11	6	
एम. बी इस्पात कार्पोरेशन लिमिटेड	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	हाँ
मां चिन्ना मस्तिका स्पंज आयरन लिमिटेड	2	0	0	1	0	1	0	1	0	2	हाँ
मॉ चिन्नामस्तिका सीमेंट एडं इस्पात प्राइवेट लिमिटेड	5	0	1	1	1	1	1	4	2	2	
मैथन स्टील एंड पावर लिमिटेड	10	0	0	0	0	0	3	6	1	3	
मार्क स्टील लिमिटेड	2	0	0	0	0	0	0	1	2	0	हाँ
नव दुर्गा फ्यूल लिमिटेड	32	1	13	14	15	15	18	18	17	29	
नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड	60	0	1	1	1	1	60	46	47	0	
प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	380	184	196	194	195	192	210	330	286	35	
रायमाता इस्पात (इंडिया) प्राइवेट	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	

प्रेषितियों द्वारा दस्तावेजों के गैर-प्रस्तुतिकरण, आंशिक प्रस्तुतिकरण अथवा त्रुटिपूर्ण प्रस्तुतिकरण के विवरण जिन्होने उत्पाद शुल्क रिटर्न में भी लौह अयस्क कम बताया										
कम्पनी का नाम	बुकिंग/आरआर की संख्या	आईईएम	सीएफओ	फैक्ट्री लाइसेंस	सीएलए पंजीकरण प्रमाणपत्र	सीईआरसी	मासिक उत्पाद शुल्क रिटर्न	शपथ पत्र	क्षतिपर्ति बाण्ड	अग्रेषण नोट	क्या रेलवे द्वारा मांग ज्ञापन जारी किया गया।
लिमिटेड											
रामगढ़ स्पंज एडं आयरन प्राइवेट लिमिटेड	5	3	3	3	3	3	4	4	3	1	
रश्मि इस्पात (पी) लिमिटेड	7	0	0	2	0	0	0	3	5	4	हाँ
रश्मि मैटेलिक्स लिमिटेड	69	9	63	13	62	9	10	66	68	0	हाँ
रिषभ स्पंज प्राइवेट लिमिटेड	12	0	0	0	3	1	1	5	0	3	
रूंगटा माइंस लिमिटेड	19	4	17	6	17	6	6	19	16	1	
सालासर स्टील एंड पावर लिमिटेड	68	63	66	68	66	68	67	64	64	0	
सत्यम आयरन एण्ड स्टील क. प्रा. लि.	27	0	0	0	0	0	7	3	2	17	
सत्यम स्मैलटर्स प्रा. लि.	26	0	1	1	0	0	6	5	1	17	
शाकम्भरी इस्पात एंड पावर लिमिटेड	12	0	1	1	0	1	0	7	5	0	
शिवम आयरन एंड स्टील लिमिटेड	11	0	0	1	0	0	4	6	3	1	
श्री गोपाल गोविंद स्पंज (पी)	7	2	2	2	2	2	4	4	2	2	

प्रेषितियों द्वारा दस्तावेजों के गैर-प्रस्तुतिकरण, आंशिक प्रस्तुतिकरण अथवा त्रुटिपूर्ण प्रस्तुतिकरण के विवरण जिन्होंने उत्पाद शुल्क रिटर्न में भी लौह अयस्क कम बताया											
कम्पनी का नाम	*बुकिंग/आरआर की संख्या*	*आईईएम*	*सीएफओ*	*फैक्ट्री लाइसेंस*	*सीएलए पंजीकरण प्रमाणपत्र*	*सीईआरसी*	*मासिक उत्पाद शुल्क रिटर्न*	*शपथ पत्र*	*क्षतिपर्ति बाण्ड*	*अग्रेषण नोट*	*क्या रेलवे द्वारा मांग ज्ञापन जारी किया गया।*
लिमिटेड											
श्री वेंकटेश्वर आयरन एण्ड एलॉय इंडिया लिमिटेड	6	0	0	1	0	0	0	6	0	0	
सीद्धी विनायक मेटकाम लिमिटेड	6	0	1	0	0	0	0	1	0	6	
सिंघल एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	139	78	130	130	108	108	107	85	133	7	
सनफ्लैग आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड	106	0	0	9	9	0	20	93	88	8	
टाटा स्टील लिमिटेड	3542	435	3541	3541	3541	3541	3541	3542	3542	3541	
तायो रोल्स लिमिटेड	17	1	2	2	2	2	2	6	3	10	
वासवानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
वीजा स्टील्स लिमिटेड	69	21	46	41	41	39	41	36	31	21	
विशाल स्पंज प्रा. लि.	6	2	2	5	2	2	4	5	5	1	हाँ
विजन स्पंज आयरन प्रा. लि.	41	10	20	19	20	18	25	24	11	9	
गोपाल स्पंज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड	32	31	32	31	32	29	31	27	28	0	

प्रेषितियों द्वारा दस्तावेजों के गैर-प्रस्तुतिकरण, आंशिक प्रस्तुतिकरण अथवा त्रुटिपूर्ण प्रस्तुतिकरण के विवरण जिन्होने उत्पाद शुल्क रिटर्न में भी लौह अयस्क कम बताया											
कम्पनी का नाम	बुकिंग/आरआर की संख्या	आईईएम	सीएफओ	फैक्ट्री लाइसेंस	सीएलए पंजीकरण प्रमाणपत्र	सीईआरसी	मासिक उत्पाद शुल्क रिटर्न	शपथ पत्र	क्षतिपर्ति बाण्ड	अग्रेषण नोट	क्या रेलवे द्वारा मांग ज्ञापन जारी किया गया।
फिल इस्पात प्राइवेट लिमिटेड	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
शिवालय इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड	8	8	8	8	8	8	7	8	8	0	
श्री बजरंग पावर एडं इस्पात लिमिटेड	21	19	19	19	19	19	19	19	19	5	
जोड़	**8480**	**960**	**4311**	**4250**	**4339**	**4170**	**7669**	**7988**	**7918**	**3786**	

विवरण डी

उन ग्राहकों के ब्यौरें दर्शाता विवरण जिन्हें आवश्यकता से अधिक रेक आंबटित किये गए थे।						
क्रम सं.	**फर्म का नाम**	**तिमाही**	**पिछली तिमही मे खपत (एमटी में)**	**वर्तमान तिमाही में आंबटित रेकों के माध्यम से ले जाया गया भार (एमटी में)**	**पिछली तिमाही की खपत से अधिक आंबटन (एमटी में)**	**अधिक आंबटन का %**
1	रश्मि मेटालिक्स लिमिटेड	अप्रैल 11 - जून 11	6184	310760	304575	4925
		जुलाई 11 - सितम्बर 11	10045	157208	147162	1464
		अक्टूबर 11 - दिसम्बर 11	37125	76776	39650	106
		जनवरी 12 - मार्च 12	67852	201080	133227	196
2	रश्मि इस्पात लिमिटेड	अप्रैल 11 - जून 11	16457	25592	9134	55
		जुलाई 11 - सितम्बर 11	8745	25592	16846	192
		अक्टूबर 11 - दिसम्बर 11	8770	25592	16821	191
		जनवरी 12 - मार्च 12	8918	40216	31297	350
3	मार्क स्टील लिमिटेड	अप्रैल 12 - जून 12	18408	69464	51056	277
		जुलाई 12 - सितम्बर 12	19920	32904	12984	65
		अक्टूबर 12 - दिसम्बर 12	0	29248	29248	--
		जनवरी 13 - मार्च 13	11489	40216	28727	250
4	एसपीएस स्टील एंड रोलिंग मिल्स लिमिटेड	अप्रैल 13 - जून 13	0	25592	25592	--
		जुलाई 13 - सितम्बर 13	10012.45	29248	19235.55	192

विवरण ई

आरएएस के माध्यम से हस्तलिखित रूप से आंबटित रेकों की कम्पनी-वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण				
क्र. सं.	***परेषिती का नाम***	***परेषिती का कोड***	***प्राथमिकता***	***रेकों की सं.***
1.	बोदर शिंपग लि.	बीएसएल	डी	1
2.	स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि.	बीएसपी	सीबीटी	1760
3.	कॉनकास्ट स्टील एण्ड पावर लि.	सीओएन	डी	1
4.	इस्टर्न स्टील एण्ड पावर लि.	ईएसपी	सी	1
5.	ग्लोबल एसोसिएट्स	जीए	सी	1
6.	जय बालाजी इण्डस्ट्रीज लि.	जेबीआईएल	सी	2
7.	जिन्दल स्टील एण्ड पावर लि.	जेएसपीएल	सीबीटी	1480
8.	जेएसडब्ल्यू स्टील लि./सेलम	जेएसडब्ल्यूएस	डी	1
9.	जेएसडब्ल्यू स्टील लि./टीएनजीएल	जेएसडब्ल्यूटी	सी	3
10.	नीलांचल इस्पात निगम लि.	एनआईएनएल	सीबीटी	1
11.	नीलांचल इस्पात निगम लि.	एनआईएनएल	सीबीटी	36
12.	रूगॅटा माइन्स लि.	आरएमएल	डी	1
13.	रूगॅटा माइन्स लि.	आरएमएल	डी	2
14.	श्री साईनाथ इन्डस्ट्री प्रा. लि.	एसएआईआई	सीबीटी	1
15.	स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि.	एसएआईएल	सीबीटी	3090
16.	स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि.	एसएआईएल	सीबीटी	203
17.	एसकेएस इस्पात लि.	एसकेएस	सी	1
18.	एसपी सिंगला	एसपीएस	डी	2
19.	श्याम सेल एण्ड पावर लि.	एसएसपी	डी	1
20.	टाटा स्टील लि.	टीआईएससी	सीबीटी	6471
21.	वीसा स्टील्स लि.	वीआईएसए	सी	1